राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2013 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 16 APR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नव सृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के कार्य निष्पादन बाबत।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्रांक 4(19)आरडी/एनआरईजीएस/नरेगा/पी.ओ./2009–10 दिनांक 18.09.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुर्नगठन किया जाकर कुल 723 ग्राम पंचायतों एवं 47 पंचायत समितियां नई सृजित की गई है। इन नव सृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का विवरण एमआईएस (नरेगा सॉफ्ट) पर अंकित किया जा चुका है।

संदर्भित पत्र में जारी निर्देशों के अनुसार नव गठित पंचायत समिति में कार्यरत, विकास अधिकारी ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उस पंचायत समिति (ब्लॉक) के लिए कार्यक्रम अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नव सृजित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों पर पद सृजन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। नये पद सृजन होने तक स्थानीय पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत प्रतिनियुक्त/संविदा कार्मिकों में से ही नव सृजित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबंधित कार्य संपादन करवाने हेतु स्वयं के स्तर से व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
15/4/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
5. परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
6. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं बाडमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस